Act, 1957 and thereafter the mining lease is granted by the State Government.

(b) There has been no case of offer of captive coal blocks to various parties in the public and private sector including the State power utilities in which the procedure prescribed under the Mines and Minerals (Regulation & Development) Act, 1957 has not been followed.

Increasing capital reserves in coal mines

1248. SHRI SANJAY DALMIA: Will the Minister of COAL be pleased to state:

(a) whether capital reserve in coal companies is increasing due to the excess capital investment being made therein;

(b) the total capital investment made during each of the last three years;

(c) the total loss incurred as a result thereof;

(d) whether Government have re viewed the working of those companies which are incurring loss due to excess capital investment; and

(e) if so, the outcome thereof?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COAL (SHRIMATI KANTI SINGH): (a) and (b) As on 31st March, 1997, neither the Coal India Limited (CIL) nor Singareni Collieries Company Limited (SCCL) had any capital reserve. The total capital investment made in CIL and SCCL during the last three years are as under:—

(Rs. in crores)

	1994-95	1995-96	1996-97
CIL	1604.56	1503.63	1550.08
SCCL	516.58	293.91	242.97

(c) CIL and SCCL did not Incur any loss at a result of capital investment.

(d) and (e) Do not arise in view of the l answer to part (c) of the question.

कोल इंडिया लिमिटेड के अधीन कोयला खानों में कार्यरत मजदूरों की स्थिति में सुधार किया जाना

1249. **श्री इकबाल सिंह** : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षो के दौरान और अब तक सरकार द्वारा कोयला क्षेत्रों में नवीनतम तकनीकी का उपयोग करने और कोयला खानों में कार्यरत मजदूरों की स्थिति में सुधार करने हेतु क्या—क्या प्रयास किए गए हैं;

(ख) सरकार द्वारा कोल इंडिया लिमिटेड के अधीन कोयल कंपनियों में कार्य कर रहे मजदूरों को उचित मजदूरी, कल्याण , सुविधाएं तथा आगे बढ़ने के अवसर प्रदान करने जैसी महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखते हुए अब तक कौन—कौन से नीतिगत निर्णय लिए गए हैं, और

(ग) इसके कार्यान्वयन के संबंध मे की जा रही आवश्यक कार्यवाही संबंधी ब्यौरा क्या हैं?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) इंडिया लि. द्वारा इन क्षेत्रों में अब तक किए गए प्रयासों को नीचे दर्शाया गया हैं:-

विघुत सपोर्ट लांगवाल फेसों को आरंभ किया जाना।

आधुनिक प्रौघोगिकी आरंभ किए जाने के लिए सा.ई.को.लि. में 6 खानों का विनिर्दिष्ट किया जाना।

भूमिगत खानों में एस.डी.एल./एल.एच.डी. के विकास में वृद्वि किया जाना ताकि श्रमिक द्वारा लदान किए जाने वाले कठिन क्रियाकलापों को यंत्रिक लदान के क्रियाकलापों में बदला जा सके।

खान पर्यावरणात्मक प्रबोधन पद्वति गैस का पता लगाने के सुवाह्य यंत्र, आग की चेतावनी देने वाले यंत्र आदि के प्रयोग को तेज किया जाता।

(ख) और (ग) इस संबंध में सूचना संलग्र विवरण में दी गई है। (नीचे देखिए)